3 अध्याय

संघ और उसका राज्य क्षेत्र

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- भारत संघ का निर्माण राज्य क्या है और संघ राज्य तथा उसके वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे।
- भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इसका गठन कैसे हुआ।
- छोटे और बड़े राज्यों के लाभ-हानि के बारे में क्या जानकारी है साथ ही साथ यह सीखेंगे कि बड़े राज्य हमारे लिए अधिक फायदेमंद है या छोटे राज्य। राज्यों के गठन का आधार क्या और कैसे है।

परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित किया गया है। प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया था। संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि, 'यद्यपि यह संविधान संरचना की दृष्टि से परिसंघ हो सकता है, किंतु विविधता में एकता का समालोचन करने के कारण इसे राज्यों का संघ कहा जाता हैं। राज्यों का संघ कहने के दो कारण हैं—पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरा संघ का कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

अनुच्छेद पर चर्चा (Discussion on Articles)

संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है:

अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा। परिसंघ तथा संघ दोनों प्रणाली में केन्द्र के साथ राज्य का सम्मिलन होता है। दोनों ही में केवल अंतर इतना है कि जहाँ परिसंघ में राज्य केन्द्र के साथ किसी संधि (समझौता) के तहत शामिल होता है तथा जब वह चाहे संधि से अपने को अलग कर सकता है परंतु संघ के संदर्भ में राज्यों को यह स्वतंत्रता नहीं रहती कि वह जब चाहे संघ से अलग हो जाये। भारतीय संविधान के तहत राज्यक्षेत्र के अंतर्गत तीन प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं—(1) राज्यों के राज्य क्षेत्र, (2) संघ राज्य का क्षेत्र तथा (3) ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित (ग्रहण) किये जाये। (संघ में केवल राज्यों से अलग हो जायें। भारतीय संविधान में संघ को अपनाया गया है। परिसंघ जहाँ एक अस्थायी व्यवस्था होती है वहीं पर संघ एक स्थायी व्यवस्था होती है। परिसंघ के तहत केन्द्र निर्बल तथा राज्य सबल होते हैं वहीं पर संघ के तहत केन्द्र सबल तथा राज्य निर्बल स्थिति में होता है। भारत संघ के तहत प्रत्येक राज्य क्षेत्रों का नाम तथा उनके तहत आने वाले क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत प्रथम अनुसूची में उपबन्धित किया गया है।

अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इसके लिए सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना आवश्यक है लेकिन इसकी शक्ति संसद को प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है और साथ ही किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। उपरोक्त प्रयोजनों के लिये राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना चाहिए। भारत राज्यक्षेत्र का

अध्यर्पण करना हो तो संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। किन्तु यदि सीमा विवाद को निपटाया जाता है तो यह राज्यक्षेत्र का अध्यर्पण नहीं होगा। अत: कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है।

नये राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया—अनुच्छेद 3 में नये राज्यों के निर्माण तथा पहले से विधान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान हैं। संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नये राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। नये राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाए जा सकते। यदि राज्य-विधायिका उस निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर अपना मत नहीं देती, तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। संसद में ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने से पहले इसे राष्ट्रपति एक निश्चित समय-सीमा के अंदर अपना मत देने के लिए सम्बद्ध राज्य-विधायिका को विचारार्थ भेजेगा। राज्य-विधायिका का उस विधेयक पर अपना मत न भी आया हो, तब भी संसद के किसी सदन में विधेयक को लाया जा सकता है। राज्य-विधायिका के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए या उसको क्रियान्वित करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। प्रस्तावित व स्वीकृत ऐसे विधेयकों में संशोधन करते समय प्रत्येक बार सम्बद्ध राज्य विधायिका का मत माँगा जाना आवश्यक नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत नये राज्यों का गठन या उनके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नामों में या क्षेत्रों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन के लिए बनायी गयी विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जायेगी। इसके लिए साधारण विधेयक की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के तहत नये राज्यों का गठन सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन तथा अर्जित करने का उपबन्ध किया गया है, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या उसे अंतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

संघ और उसके राज्य (भाग—1)

अनुच्छेद 1—संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।

अनुच्छेद 2—नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।

2 (क)—सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना।

अनुच्छेद 3—नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।

अनुच्छेद 4—पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद—2 और अनुच्छेद—3 के अधीन बनाई गई विधियाँ।

भारत का राज्य क्षेत्र

- वर्तमान में संविधान की पहली अनुसूची में 29 राज्यों व 7 संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। 7वें संविधान संशोधन 1956 से पूर्व संघ से सम्बद्ध राज्यों की चार श्रेणियां थीं:

1. **'अ' श्रेणी के राज्य**—इसमें ब्रिटिश प्रदेशों को रखा गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित राज्य थे—संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, असम, बम्बई।
2. **'ब' श्रेणी के राज्य**—इस श्रेणी में 1947 के पूर्व ब्रिटेन द्वारा शासित कुछ क्षेत्र तथा बड़ी-बड़ी देशी रियासतें शामिल की गई थी, जो निम्नलिखित थीं—जम्मू तथा कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर राज्य, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर तथा कोचीन, विन्ध्य प्रदेश।
3. **'स' श्रेणी के राज्य**—इस श्रेणी में निम्नलिखित प्रदेश शामिल किए गए थे—अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच-बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा।
4. **'द' श्रेणी के राज्य**—इस श्रेणी में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप को शामिल किया गया था।

- ज्ञातव्य है कि 1956 से पूर्व प्रथम अनुसूची में भाग 'अ', 'ब', 'स' राज्य आते थे और अर्जित किए गए राज्यों को भाग 'द' में रखा गया था।

तालिका 3.1: भारत का राज्य क्षेत्र (1949 में) मूल संविधान में

भाग 'अ' राज्य	भाग 'ब' राज्य	भाग 'स' राज्य	भाग 'द' राज्य
1. असम	1. हैदराबाद	1. अजमेर	1. अण्डमान व निकोबार
2. बिहार	2. जम्मू-कश्मीर	2. भोपाल	2. अर्जित राज्य (यदि कोई हो)
3. मुम्बई	3. मध्य भारत	3. बिलासपुर	
4. मध्य प्रान्त	4. मैसूर	4. कूच-बिहार	
5. मद्रास	5. पटियाला व पूर्वी पंजाब की रियासतें	5. कोडकू	
6. उड़ीसा			
7. पंजाब			
8. संयुक्त प्रान्त			
9. पश्चिमी बंगाल			

छोटे राज्यों का मुद्दा

सकारात्मक पक्ष—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार की भूमिका में बदलाव आए हैं। अब राज्य ने शुद्ध विधि व्यवस्था कायम रखने वाली एजेंसी से हटकर विकास प्रयोजक संगठन का स्वरूप धारण कर लिया

है। इस कार्य के लिए ज्यादा विस्तृत सरकारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। इस मामले में छोटे राज्य कारगर साबित हो सकते हैं। राजकोषीय व्यवस्था में छोटे राज्य ज्यादा कारगर साबित होंगे। राज्य की जनता की प्रमुख आवश्यकताओं, मांगों और समस्याओं की ओर पहले की अपेक्षा छोटे होने के चलते ये ज्यादा ध्यान देकर हल और पूर्ति कर सकेंगे। भले ही उत्तर-पूर्व ने अच्छे परिणाम सामने नहीं लाए हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने निश्चित ही अच्छे परिणाम उपस्थित किए हैं। तीन नए राज्यों के गठन के बाद भी, अभी भी भारत में आधे से अधिक ऐसे राज्य हैं जो यूएसए के बराबर हैं और उनकी जनसंख्या यूएसए की जनसंख्या से चौगुनी है। इससे राज्यों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होती है और इससे ये कई नये-नये प्रयोग और आविष्कार करते रहते हैं। छोटे राज्यों के समक्ष ज्यादा स्वरूप प्राथमिकताएं होंगी। भारत में केन्द्रीयकरण की समस्या केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच नहीं है बल्कि राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयों के बीच है। यह समस्या छोटे राज्यों में कम होगी। प्रशासनिक गुणवत्ता अच्छी होगी—प्रशासनिक ढांचे में पदानुक्रम कम होने की संभावना होती है जिससे निर्णय लेने वालों को प्राप्त होने वाली सूचना की गुणवत्ता में सुधार आते हैं और अनुप्रस्थ रूप में नियंत्रण की विस्तीर्णता कम होगी जिससे ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।

नकारात्मक पक्ष—इससे क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ोत्तरी होगी जहां तक ढांचागत सुविधाओं का प्रश्न है—(क) झारखण्ड में कृषि भूमि अनुपात कम है, वनों और खनिजों की बहुतायत है—बिहार में कृषि भूमि रह गयी है, न वन हैं, न खनिज। (ख) छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, वहां यातायात, शिक्षा आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है—उद्योग प्राय: नगण्य हैं और (ग) उत्तराखण्ड का पर्यटन ही एकमात्र राजस्व का जरिया है। (घ) आन्ध्र प्रदेश के भाग को निकालकर नये बनाये गये तेलंगाना राज्य में आधारभूत संरचना का अभाव है।

अलग राज्य की मांग—नये राज्यों के निर्माण के लिए अनेक माँगें हुई हैं जैसे विदर्भ (महाराष्ट्र), बोडोलैण्ड (असम), गोरखालैण्ड (पश्चिम बंगाल), कोडगु (कर्नाटक, पॉण्डिचेरी), दिल्ली, बुंदेलखण्ड, हरित प्रदेश (उत्तर प्रदेश) इत्यादि।

- एक अनेकतावादी समाज में नए राज्य के गठन से नए-नए राज्यों के गठन की मांग बढ़ेगी। वर्तमान में सात राज्यों की मांग चल रही है: पूर्वांचल, हरित प्रदेश और बुंदेलखण्ड (उत्तर प्रदेश), बोडोलैंड (असम में), गोरखालैंड (पश्चिम बंगाल में), विदर्भ (महाराष्ट्र में), सौराष्ट्र (गुजरात में)।
- इनकी राजधानी और भवनों को बनाने में अत्यधिक अनुपयोगी व्यय आएगा।
- केवल नए राज्य बनाने से भारत की समस्याओं को हल के लिए रामबाण नहीं मिल जाएगा—उत्तर-पूर्व का उदाहरण यह दर्शाता है कि छोटे राज्य होने से आर्थिक निष्पादन में सुधार नहीं आ जाते।
- इससे राज्य और केन्द्र के बीच नए झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं।

तालिका 3.2: केन्द्र शासित राज्यों की स्थापना

(केन्द्र शासित क्षेत्र) राज्य	संघीय क्षेत्र (केन्द्र शासित क्षेत्र) (1956 में गठित)
1. आन्ध्र प्रदेश	1. दिल्ली
2. असम	2. मणिपुर
3. बिहार	3. त्रिपुरा
4. बम्बई	4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू-कश्मीर	5. अंडमान निकोबार द्वीप समूह
6. केरल	6. लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीप
7. मध्य प्रदेश	
8. मद्रास	
9. मैसूर	
10. उड़ीसा	
11. पंजाब	
12. राजस्थान	
13. उत्तर प्रदेश	
14. पश्चिम बंगाल	

सन् 1950 के पश्चात् बनाए गए राज्य

- आन्ध्र प्रदेश — आन्ध्र प्रदेश अधिनियम, 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया भाषायी आधार पर पृथक राज्य।
- गुजरात, महाराष्ट्र — 1960 में मुम्बई राज्य को दो भागों गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया।
- केरल — ट्रावनकोर-कोचीन की जगह बनाया गया (राज्य पुनर्गठन अधिनिश्म, 1956 के द्वारा)।
- कर्नाटक — राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1962 द्वारा असम राज्य से अलग बनाया गया नया राज्य।
- हरियाणा — पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया।
- हिमाचल प्रदेश — हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- मेघालय — संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा इसे अलग राज्य के भीतर एक उपराज्य बनाया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 द्वारा इसे 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- मणिपुर, त्रिपुरा — पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से 1972 मे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

- सिक्किम — 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य की मान्यता प्रदान की गई। (36वां संशोधन 1975 द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया था)।
- अरुणाचल प्रदेश — अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- गोवा, दमन व दीव — पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा संघ दमन और दीव राज्य क्षेत्र बना रहने दिया तथा गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया।
- छत्तीसगढ़ — यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है (स्थापना 1 नवम्बर, 2000)।
- उत्तरांचल — यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है (स्थापना 9 नवम्बर, 2000)।
- झारखण्ड — यह राज्य बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है (स्थापना 15 नवम्बर, 2000)।
- तेलंगाना — यह राज्य आन्ध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है (2 जून, 2014)।

राज्य पुनर्गठन आयोग और अनुशंसाएं (State Reorganization and Recommendations)

भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाती रही थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस मांग में और अधिक वृद्धि हो गयी।

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग उठने लगी।
- भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन के लिए संविधान सभा ने नवम्बर 1947 में 'एस.के. धर आयोग' का गठन किया।
- 'दर आयोग' की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1948 के अपने जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने तीन सदस्यों वाली समिति गठित की।
- इसके तीन सदस्यों, जवाहर लाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारमैया के नाम पर यह समिति जे.वी.पी. समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई।
- इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया।
- इस समिति ने सुझाव दिया कि सुरक्षा, एकता तथा राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए इसकी सिफारिशों को 1949 में 'कांग्रेस कार्य समिति' ने स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिण के राज्यों विशेषत: तेलगू भाषी क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग जोर पकड़ने लगी।
- चूंकि तेलगूभाषी क्षेत्रों में आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा, इसलिए कांग्रेस ने 1953 में तेलगूभाषी क्षेत्रों का आन्ध्र प्रदेश राज्य के रूप में पुनर्गठन स्वीकार कर लिया। (भाषायी आधार पर पहला राज्य आन्ध्र प्रदेश)
- इस समस्या के व्यापक अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में एक 'राज्य पुनर्गठन आयोग' बनाया।
- आयोग के अन्य सदस्य थे—हृदयनाथ कुँजरू तथा के.एम. पाणिक्कर।
- 1955 में सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भाषा के साथ अन्य पहलू को भी राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार किया।
- इसने विभिन्न श्रेणियों के 27 राज्यों का पुनर्गठन, की बात की और 16 राज्यों व 3 केन्द्रशासित प्रदेशों में करने का सुझाव दिया।
- आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' पारित कर दिया। जिससे 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ।

तालिका 3.3: राज्य पुनर्गठन आयोग और इसकी अनुशंसाएँ

वर्ष	आयोग/व्यक्ति	अनुशंसा
1903	सर हर्बर्ट रिसले	बंगाल सरकार को लिखे गये पत्र में भाषाई आधार पर बंगाल के विभाजन का सुझाव दिया।
1911	लॉर्ड हार्डिंग	राज्य सचिव को लिखे गये पत्र में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की मांग की जिसमें भाषा के मुद्दे को प्रमुखता दी गयी थी।
1918	मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट)	राज्यों के गठन के भाषाई एवं जातीय आधार को अस्वीकार किया परंतु छोटी इकाईयों पर बल दिया।
1928	मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट	भाषा, जनेच्छा, जनसंख्या एवं भौगोलिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति को आधार माना।
1930	भारतीय स्टेच्युरी कमीशन (साइमन कमीशन)	जाति, धर्म, आर्थिक हित, भौगोलिक एकरूपता, गाँवों-शहरों में संतुलन इत्यादि को राज्यों के गठन का आधार माना किसी भी एक मुद्दे को नहीं बल्कि अनेक मुद्दों को गठन का आधार माना लेकिन गठन के फलस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों की आपसी सहमति को गठन का आधार माना। भाषाई आधार को सशर्त स्वीकृति दी।

(Continued)

वर्ष	आयोग/व्यक्ति	अनुशंसा
1931	मैकडोनल आयोग	भारतीय स्टेच्युटरी कमीशन की अनुशंसा का समर्थन किया।
1936	भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति	इसकी अनुशंसा पर साम्प्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया।
1948	धर आयोग	हालांकि इसने वर्तमान परिस्थितियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया किन्तु प्रशासनिक सुविधा, इतिहास एवं भौगोलिक, सांस्कृति एवं आर्थिक आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया।
1948	जे.वी.पी. आयोग	प्रभावित जनता की आपसी सहमति आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक मितव्ययिता पर जोर दिया एवं इन सबको ध्यान में रखते हुए भाषा को आधार बनाये जा सकने की संभावना से इनकार किया।
1953	फजल अली आयोग	राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय व्यवहार्यता एवं आर्थिक विकास अल्पसंख्यक हितों की रक्षा को पुनर्गठन का आधार माना। सरकार ने इस आयोग की अनुशंसा की कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया एवं इसी अनुशंसा पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया (7वाँ संविधान संशोधन, 1956)।

तालिका 3.4: केन्द्र शासित क्षेत्रों की स्थापना

केन्द्र-शासित क्षेत्र	स्थापना वर्ष
1. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1947
2. पाण्डिचेरी	1956
3. दादरा एवं नागर हवेली	1961
4. लक्षद्वीप	1961
5. चण्डीगढ़	1966
6. दमन एवं दीव	1987
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1956, 1991 (69वाँ संशोधन 1991 में)

संविधान में 'विशेष राज्य' का दर्जा प्राप्त 'राज्य'

1969 — (1) असम, (2) नागालैण्ड, (3) जम्मू-कश्मीर,
1971 — (4) हिमाचल प्रदेश,
1972 — (5) मणिपुर, (6) मेघालय, (7) त्रिपुरा,
1975-76 — (8) सिक्किम,
1987-88 — (9) मिजोरम, (10) अरूणाचल प्रदेश और
2000 — (11) उत्तरांचल राज्य।
प्राप्तियाँ — विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% अनुदान, और 10% ऋण उदार शर्तों पर प्रदान किया जाता है।

विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें:

(1) राज्य के पर्वतीय और दुर्गम रास्तों में उत्पन्न स्थिति।
(2) कम आबादी
(3) सामरिक रूप से राज्य का महत्त्व
(4) आर्थिक और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन।

राज्यों को विशेष दर्जा देने का काम गाडगिल फार्मूले के आधार पर शुरू किया गया था।

अध्याय सार संग्रह

- स्वतंत्रता के समय भारत में 9 ब्रिटिश प्रांत तथा 542 देशी रियासतें थीं। देश रियासतों में से जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया।
- देशी रियासतों का भारत में विलय कराने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को 'भारत का बिस्मार्क' कहा जाता है।
- भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1912 में किया गया था, जब बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया।
- स्वतंत्र भारत में भाषायी आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था।
- सांतवें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा राज्यों के चार वर्गों (अ.ब.स.द.) को समाप्त कर दिया गया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत 14 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश थे।
- 1956 में फ्रांसीसी क्षेत्रों को मिलाकर छठे केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डिचेरी का गठन किया गया।
- 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- 1992 में संघशासित राज्य दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। (इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए)। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के जरिए हुआ।
- हालांकि, संविधान में नये राज्यों के अर्जन, नये राज्यों के प्रवेश तथा निर्माण आदि का उपबंध किया गया हे, किन्तु इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या अंतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए नौवां संविधान संशोधन करना पड़ा था।
- जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन की कार्यवाही तभी प्रारंभ की जा सकती है, जब उस राज्य के विधान मंडल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया।
- नये राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों का अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है।
- राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है।
- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति स्वयं चलाते हैं। जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न करे।
- संविधान के अनुच्छेद—2 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो यह ठीक समझे, भारत संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
- संसद सामान्य बहुमत से विधि बनाकर नये राज्यों की स्थापना कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है।
- भारत की संसद में 36वाँ संशोधन अधिनियम 1975 पारित करके सिक्किम विधान सभा के अनुरोध पर और जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम को नये राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल किया।
- जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में फरवरी 1948 में मिलाया (जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान भाग गया) गया।
- हैदराबाद की रियासत को सैन्य कार्यवाही करके नवम्बर 1948 में भारत में मिलाया गया।
- जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक ने 26 अक्टूबर, 1947 को 'विलय पत्र' पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया।
- देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान सरदार पटेल, वी.पी. मेनन और लार्ड माउण्टबेटन का था।
- संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका अपना पृथक संविधान है।
- राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित धर आयोग का गठन (1947-48) संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। इस समिति के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. दर थे।
- 'धर आयोग' के निर्णयों की परीक्षा करने और भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जे.वी.पी. (जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारमैया) समिति का गठन (1948) किया।
- पं. नेहरू ने (तत्कालीन प्रधानमंत्री) तेलुगू भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा की और इस प्रकार 1 अक्टूबर, 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना।
- फ्रांस की सरकार ने 1 नवम्बर, 1954 को अपनी सभी बस्तियाँ पाण्डिचेरी, यनम, माहे, चन्द्रनगर और कराईकल को भारत सरकार को सौंप दिया। 28 मई, 1956 ई. को इस सम्बन्ध में सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। फ्रांस द्वारा सौंपे गए इन क्षेत्रों को मिलाकर 'पाण्डिचेरी' संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया।
- 18 दिसम्बर, 1961 ई. को भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उस पर अधिकार कर लिया (अंतर्राज्यीय न्यायालय ने मान्यता दी)।